न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 45/2017

अपीलांट

1. गलबाराम पुत्र मसराराम
2. लुकाराम पुत्र मसराराम
3. पेन्टाराम पुत्र मसराराम
4. पेप देवी पत्नी मसराराम
5. खुबली पुत्री मसराराम
6. कान्तिलाल पुत्र पकाराम
7. पारसाराम पुत्र पकाराम
8. जोइताराम पुत्र पकाराम
9. मंगलाराम पुत्र पकाराम
10. वरजु देवी पत्नी पकाराम, जातियान मेघवाल, निवासी आलासन, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. दलाराम पुत्र देवाराम
2. खंगाराम पुत्र देवाराम
3. सुरेश कुमार पुत्र जेताराम
4. शान्तिलाल पुत्र जेताराम
5. भेराराम पुत्र जेताराम
6. कमला देवी पुत्री जेताराम
7. पांचमी देवी पुत्री जेताराम
8. सुंदर देवी पुत्री जेताराम
9. जोईती देवी पत्नी जेताराम, जाति मेघवंशी, निवासी आलासन, तहसील व जिला जालोर
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 09 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1/5

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.03.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 64/2015 दलाराम बनाम गलबाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 दलाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत बंटवाडा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 82 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 83 रकबा 3.12 हैक्टर सरहद मौजा आलासन पटवार हल्का आलासन में आई हुई है। जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की सामालाती आराजी है। अत मौजा आलासन पटवार हल्का आलासन के खसरा संख्या 82 व 83 का मौके काबिज अनुसार बंटवाडा किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सम्मन जारी किये गये। वाद प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलांट की तामिली होने के बाद अपीलांट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। पत्रावली जवाब हेतु मुकर्रर थी, इसी दरमियान राजस्व केम्प में पत्रावली की पेशी नियत की जाकर रेस्पोडेन्ट दलाराम एवं जोगाराम की उपस्थिति में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रारम्भिक डिक्री पारित नहीं की गई। विधि अनुसार विभाजन के वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी होती है उसके पश्चात तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्तुत किया जाता है उक्त बंटवाडे से किसी पक्षकार को कोई आपति हो तो दोनो पक्षो की बहस सुनकर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के आधार पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक से मिलावट कर वादग्रस्त आराजी को विशिष्ट हिस्सा अपने पक्ष में बंटवाडा करवा लिया है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत कैम्पो में दोनो पक्षकारान की आपसी सहमति एवं राजनीमे के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय निर्देश जारी किये गये है। बिना आपसी राजीनामे व सहमति के कोई प्रकरण निर्णित करने का प्रावधान लोक अदालत कैम्पों के दौरान नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की मंशा के विरूद्ध जाकर सिविल प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर

है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्णतया सुनवाई का अवसर दिया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट सुरेश कुमार द्वारा अपने हिस्से की आराजी खेत खसरा संख्या 1217/83 रकबा 0.6320 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर वागाराम को एवं 0.16 हैक्टर जोराराम को कुल 0.32 हैक्टर आराजी का बेचान कर दिया गया है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में जरिये म्यूटेशन नम्बर 897 दिनांक 06.11.2017 के अमलदरामद किया गया है। साथ ही उक्त खरीद का इन्द्राज उपपंजीयक कार्यालय जालोर में पंजीबद्ध है। उक्त पंजीयन के अस्तित्व में रहते हुए उक्त आराजी के संबध में हाजा न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित का अधिकार नहीं है। एवं न ही अपीलांट द्वारा उक्त पंजीयन को निरस्त कराने बाबत कोई दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधिसम्मत जारी की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 दलाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत बंटवाडा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 82 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 83 रकबा 3.12 हैक्टर मोजा आलासन पटवार हल्का आलासन के संबध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वारा कैम्प में पेशी नियत कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर रेस्पोडेन्ट सुरेश कुमार द्वारा अपने हिस्से की आराजी खेत खसरा संख्या 1217/83 रकबा 0.6320 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर वागाराम को एवं 0.16 हैक्टर जोराराम को कुल 0.32 हैक्टर आराजी का बेचान कर दिया गया है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में जरिये म्यूटेशन नम्बर 897 दिनांक 06.11.2017 के अमलदरामद किया गया है। साथ ही उक्त खरीद का इन्द्राज उपपंजीयक कार्यालय जालोर में पंजीबद्ध है। उक्त पंजीयन के अस्तित्व में रहते हुए बेचानशुदा आराजी के संबध में हाजा न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। उक्त पंजीयन को रद्ध करवाने हेतु अपीलांट द्वारा कोई दावा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अब जहां तक विधिक प्रक्रिया का पालना का प्रश्न है तो राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार जालोर द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर न तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है एवं न ही पक्षकारान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री न्याय आपके द्वार कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्याया4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat "इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 64/2015 दलाराम बनाम गलबाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 को आशिंक अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट सुरेश कुमार द्वारा बेचानशुदा आराजी खेत खसरा संख्या 1217/83 रकबा 0.6320 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर वागाराम को एवं 0.16 हैक्टर जोराराम को कुल 0.32 हैक्टर आराजी को सुरक्षित रखते हुए शेष आराजी के संबध राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

5/5